बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0

(बिहार सरकार का उपक्रम)

विद्युत भवन–II, प्रथम तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग पटना

C.I. No:-U15520BR2006SG012413, Phone:- 0612-2504498, Fax :-0612-2504506, Website:-www.bsbcl.in

कार्यालय आदेश सं0:–BSBCL/HR&Admin/I-4/14-15 / 2799 दिनांक:– 04.09.15

आदेश

निगम के विज्ञापन सं0 2172 दिनांक 14.07.2015 तदनुसार 31.08.2015 को सम्पन्न साक्षात्कार के आधार पर श्री रंजीत कुमार यादव, चार्टर्ड एकाऊटेंट को वित्त प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर निगम मुख्यालय में निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाता है–

1. श्री रंजीत कुमार यादव को इस आदेश निगर्त होने की तिथि के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर योगदान करना होगा।
2. योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त फिटनेस प्रमाण प्रत्र जमा करना होगा।
3. योगदान के समय संलग्न विहित प्रपत्र में एकरारनामा समर्पित करना होगा।
4. संविदा पर यह नियोजन योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा।
5. अनुबंध अवधि में सभी वैधानिक टैक्स एवं शुल्क सहित एक मुश्त 50,000 (पचास हजार) रु0 स्थिर मासिक वेतन के रूप में भुगतान किया जायेगा।

प्रबंध निदेशक
4 Sep 15

ज्ञापांक :– 2799 दिनांक:– 04.09.15

प्रतिलिपि :–

1. सभी महाप्रबंधक / प्रबंधक / आई0 टी0 प्रबंधक / लेखा पदाधिकारी / कंपनी सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री रंजीत कुमार यादव, पिता–श्री शिव प्रसाद यादव, ग्राम–मोमिनपुर, पो0–पण्डौल, जिला–मधुबनी, पिन–847234 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक
4 Sep 14

F/Gm.Hr/Pradip/Office.Order/P.No-984

बी०एस०बी०सी०एल० में संविदा के आधार पर नियोजन का एकरारनामा

यह एकरारनामा बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि० एवं **श्री रंजीत कुमार यादव** पदनाम **वित्त प्रबंधक** के बीच निम्नलिखित शर्त्तों के साथ किया जा रहा है:–

1. यह नियोजन केवल **वित्त प्रबंधक** पद के लिए होगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पद दिनांक .... से .... तक एक वर्ष के लिए होगा, लेकिन इनके कार्य का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जायेगा। कार्यकाल असंतोषप्रद पाये जाने पर किसी भी समय संविदा समाप्त करने के लिए निगम स्वतंत्र होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित **श्री रंजीत कुमार यादव** पदनाम **वित्त प्रबंधक** को सभी वैधानिक टैक्स एवं शुल्क सहित एक मुश्ल 50,000 (पचास हजार) रु0 स्थिर मासिक वेतन भुगतान किया जायेगा।
4. नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्य कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को संविदा अवधि में केवल आकस्मिक अवकाश ही देय होगा एवं चिकित्सा अनुदान एवं बीमा आदि प्रकार के लाभ एवं हित लाभ देय नहीं होगा।
7. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी का नियोजन एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह का संविदा राशि एकमुश्त में देकर समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा।
8. किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता होने की स्थिति में निगम पी०डी०आर० एक्ट के तहत राशि की वसूली के लिए निगम स्वतंत्र होगा।
9. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्त्तें मान्य होगी। नियोजित कर्मी उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करेंगे तो यह एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी का हस्ताक्षर